A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत सूचना

1. संगठन, कार्यों और कर्त्तव्यों का विवरण कृत

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एक नया संगठन है। इसने 1 अक्तूबर, 2003 से कार्य करना आरंभ किया। इस संगठन का गठन हाल के स्टाक मार्केट घोटाले, गैर-वित्तीय बैंकिंग कंपनियों की विफलता, विलीन हो रही कंपनियों की स्थिति और वृक्षारोपण कंपनियों के बैकड्राप में किया गया था।

सरकार ने इस संगठन की स्थापना को 9 जनवरी, 2003 को, नरेश चन्द्र समिति, जिसका गठन सरकार द्वारा कारपोरेट शासन पर 21 अगस्त, 2002 को की गयी थी, की सिफारिशों के आधार पर, अनुमोदित किया था। इस समिति ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना किए जाने के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की थी:-

- कंपनी कार्य विभाग में एक कारपोरेट गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय (एसएफआईओ) की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति और विशेष ठेका शर्त पर विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।
- यह बहु विधा वाली टीम होनी चाहिए जो न केवल धोखाधड़ी का खुलासा करती है बल्कि समुचित एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न आर्थिक विधानों के अंतर्गत निदेश देने तथा मुकदमों की जांच करने में समर्थ है।
- पदनामित टीम लीडर के अधीन प्रत्येक मामले के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाना चाहिए।
- पर्याप्त नियंत्रण और कार्यकुशलता के हित में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो नियुक्ति, इस कार्यालय के कार्यकलापों, की सीधे जांच करेगा और संबंधित विभागों तथा एजेंसियों के कार्य का समन्वय करेगी।
- इसके बाद, धोखाधड़ी के सभी पहलुओं की जांच करने और उपयुक्त न्यायालय में अभियोजन हेतु निदेश देने के लिए सीएसएफओ को समर्थ बनाने के लिए यू.के., में एसएफओ की भांति एक कानूनी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।

इस कार्यालय की स्थापना किए जाने का संकल्प, सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को जारी किया गया था।

इस संगठन का एक क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई में हैं जिसने अक्तूबर, 2004 से कार्य करना आरंभ किया।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एक बहु विधा वाला संगठन है जिसमें वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, एकाउटेंसी, फोरेन्सिक आडिट, कराधान, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून, उत्पाद तथा जांच के विशेषज्ञ होते हैं। इन विशेषज्ञों को बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संबंधित संगठनों और सरकार के विभागों जैसे विभिन्न संगठनों से लिया जाता है।

संगठनात्मक ढांचा

निदेशक एसएफआईओ			
	अपर/संयुक्त निदेशक (कराधान) 2 पीए-2	वरिष्ठ सहायक निदेशक	3
	अपर/संयुक्त निदेशक (विधि) 1 पीए-1 अभियोजक-11 - 04	सहायक निदेशक	1
	अपर/संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) 1 पीए-1	सहायक निदेशक	1
	अपर/संयुक्त निदेशक (वित्तीय लेनदेन) 2 पीए-2	सहायक निदेशक	4
	अपर/संयुक्त निदेशक (कारपोरेट विधि) 2 पीए-2	सहायक निदेशक	4
	अपर/संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार) 2 पीए-2	सहायक निदेशक	2

	अपर/संयुक्त निदेशक (जांच) 1 पीए-1	सहायक निदेशक	9
	अपर/संयुक्त निदेशक (फोरन्सिक आडिटिंग) 2 पीए-2	सहायक निदेशक	5
	अपर/संयुक्त निदेशक (उत्पाद एवं सीमा) 1 पीए-1	सहायक निदेशक	2
उप निदेशक (स्थापना एवं प्रशा.)	क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई		
	सहायक निदेशक - 2	वैयक्तिक सहायक - 2	
सहायक - 2			

एसएफआईओ का चार्टर सरकार द्वारा 21 अगस्त, 2003 को जारी किया गया था और यह अनुबंध में दिया गया है।

यह एक नया संगठन है और वर्तमान में इस शासित करने के लिए कोई पृथक सांविधि नहीं है और अंतरिम अवधि में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 से 247 के अंतर्गत प्रावधानों के अधीन जांच की जा रही है।

यह संगठन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 / 237 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा इसे भेजे गए कथित धोखाधड़ी के मामलों में जांच करता है।

केन्द्र सरकार द्वारा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सौंपे जाने वाले मामलों का मानदंड नीचे दिए अनुसार है :-

i) जटिलता और अन्तर्विभागीय और बहु-विधा वाली शाखाएं;

ii) आकार द्वारा तय किए जाने वाले जनहित की महत्वपूर्ण संलिप्तता, या तो मौद्रिक दुरूपयोग के संबंध में अथवा प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में, और;

iii) जांच की संभावना जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम, कानून अथवा क्रियाविधि में स्पष्ट हो।

केन्द्र सरकार, को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए निरीक्षक के रूप में एक अथवा इससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करने और इस संबंध में केन्द्र सरकार के निदेशानुसार रिपोर्ट करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जहां धारा 234 की उपधारा (6) के अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्ट दी गयी है।

इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए निरीक्षक के रूप में एक अथवा इससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी और जो इस संबंध में केन्द्र सरकार के निदेशानुसार रिपोर्ट करेगा यदि -

(क) कंपनी, विशेष संकल्प अथवा न्यायालय द्वारा, आदेश देकर यह घोषित करता है कि कंपनी के मामलों की जांच केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक द्वारा करायी जानी चाहिए।

(ख) उसके मत से अथवा कंपनी विधि बोर्ड के मत से परिस्थितियां यह आग्रह करती है कि (i) कंपनी का व्यवसाय अपने क्रेडिटर्स को अथवा सदस्यों अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्यथा कपटपूर्ण अथवा गैर-कानूनी उद्देश्य अथवा इसके किसी दमनकारी तरीके से धोखा देने के इरादे से किया जा रहा है अथवा कंपनी का गठन किसी कपटपूर्ण अथवा गैर-कंपनी उद्देश्य हेतु किया गया था (ii) कि कंपनी के गठन में संबंधित व्यक्ति अथवा इसके मामलों के प्रबंधन, इस संबंध में धोखाधड़ी अपकरण अथवा कंपनी अथवा इसकी किसी अन्य सदस्यों के प्रति दुराचरण के दोषी पाए गए हैं अथवा (iii) कि कंपनी के सदस्यों को इसके मामलों के संबंध में सारी सूचना नहीं दी गयी है जिसके बारे में वे प्रबंधन अथवा अन्य निदेशक अथवा कंपनी के प्रबंधक को देय कमीशन की गणना के संबंध में सूचना सहित युक्तिसंगत उम्मीद कर सकते थे।

II½ अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

इस संगठन में जांच कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 से 247 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। केन्द्र सरकार संबंधित मामले की जांच करने के लिए निरीक्षक के रूप में इस संगठन के एक अथवा अधिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। कंपनी अधिनियम की धारा 239, 240 और 240(क) में यथा उल्लिखित जांच करने के लिए निरीक्षक की शक्तियां निम्नलिखित हैं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 239 के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि यदि कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए धारा 235 अथवा 237 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक निम्नलिखित मामलों की जांच करने के लिए अपनी जांच के उद्देश्यों हेतु भी यह अनिवार्य समझता है तो (क) अन्य व्यक्ति कारपोरेट जो है अथवा किसी संगत समय से कंपनी की सहायक कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी की धारक कंपनी रही है ; अथवा (ख) कोई अन्य व्यक्ति कारपोरेट जो है अथवा प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी संगत समय से प्रबंधित रही हो जो संगत समय पर कंपनी का प्रबंधक निदेशक अथवा प्रबंधक है अथवा था अथवा (ग) कोई अन्य व्यक्ति कारपोरेट किसी संगत समय से कंपनी द्वारा प्रबंधित रहा है अथवा है अथवा जिसके निदेशक बोर्ड में कंपनी के नामिती होते है अथवा वह कंपनी के निदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के आदि है अथवा कंपनी का कोई निदेशक अथवा कोई कंपनी, जिसके निदेश को कर्मचारियों द्वारा अथवा पहले उल्लिखित कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन वाले नामितियों द्वारा माना जाता है अथवा (घ) कोई व्यक्ति जां किसी संगत समय से कंपनी का प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधक है अथवा रहा है, निरीक्षक के पास केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की शर्त पर ऐसा करने की शक्ति होगी और वह जहां तक यह समझता है कि इस संबंध में इसके जांच के परिणाम पहले उल्लिखित कंपनी के मामलों की जांच हेतु उचित है तो वह अन्य व्यक्ति कारपोरेट अथवा प्रबंधन निदेशक अथवा प्रबंधक के मामलों की रिपोर्ट करेगा।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 के प्रावधान इस प्रकार नियुक्त निरीक्षक को शक्ति प्रदान करते है - (क) उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा कंपनी के एजेंटों को बुलाने अथवा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, कंपनी की अथवा जैसा भी मामला हो, अथवा अन्य कारपोरेट जो उसके अभिरक्षण अथवा शक्ति में के संबंध में है की सभी पुस्तकों और उससे संबंधित कागजातों को मंगाने की (ख) केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से पहले बाडी कारपोरेट की अपेक्षा किसी बाडी कारपोरेट को उसके अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (सरकार के पूर्व के अनुमोदन से) को यदि उसकी जांच के उद्देश्य हेतु ऐसी सूचना प्रस्तुत करना अथवा पुस्तक और कागजात

प्रस्तुत करना उचित अथवा अनिवार्य समझे तो, जैसे वह अनिवार्य समझे, ऐसी सूचना अथवा पुस्तक तथा कागजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

(3) अधिनियम की धारा 240ए के प्रावधानों के अंतर्गत, जहां निरीक्षक के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तिसंगत आधार होता है कि किसी कंपनी अथवा अन्य बाडी कारपोरेट अथवा प्रबंध निदेशक अथवा ऐसी कंपनी अथवा बाडभ् कारपोरेट का प्रबंधक को पुस्तकें और तत्संबंधी कागजात का नष्ट, मल्टीलेटेड, बदला, झुठलाया अथवा छिपाया जा सकता है तो वह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है अथवा जैसा भी मामला हो, ऐसी पुस्तकों और कागजातों की जब्ती के लिए आदेश का अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।

III½ पर्यवेक्षण और उत्तारदायित्व के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली क्रियाविधि

चूंकि जांच, जैसाकि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है, सरकार द्वारा जांच अधिकारी (आईओ) के रूप में नियुक्त एसएफआईओ के अधिकारी के पास जांच से संबंधित मामले में अंतिम निर्णय होता है। जांच अधिकारी की सहायता के लिए आईओ के परामर्श से निदेशक, एसएफआईओ द्वारा गठित अधिकारियों के कार्यकारी समूहों को उनके विनिर्देशन के संबंधित क्षेत्रों में उसकी हर संभव सहायता करना अपेक्षित होता है। ताकि मामले की बहुविधा के कोण से जांच की जा सके। वह सम्पूर्ण जांच का पर्यवेक्षण करता है और उनसे संबंधित मामलों में विषय विशिष्ट टीम के नेताओं के साथ समन्वय करता है अपनी जांच पूरी कर लेने के बाद जांच अधिकारी, जांच रिपोर्ट केन्द्र सरकार को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रस्तुत करता है।

कार्यालय के प्रशासन के सुचारू कार्यकरण के लिए निदेशक को 'विभाग प्रमुख' (एचओडी) घोषित किया गया है। वह एचओडी की शक्ति का प्रयोग करता है। इस कार्य में एक अपर निदेशक उनकी सहायता करता है जिसे प्रशासन का भार सौंपा गया है।

उसके अधीन उप निदेशक की अगुवाई में एक प्रशासन युनिट है जिसकी सहायता के लिए दो सहायक है।

IV½ अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इसके द्वारा स्थापित मानदंड

प्रत्येक जांच के लिए, जो इस संगठन के अधिकारियों द्वारा की जानी होती है, केन्द्र सरकार, इसका आदेश देते समय, समय-सीमा निर्धारित कर देती है। उसी समय सीमा के भीतर जांच पूरी करनी होती है। अधिकारियों के विषय विशिष्ठ समूहों को जो जांच अधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करते है, को दिए गए समय-सीमा के भीतर मामले में शामिल मुद्दों की जांच करनी होती है और जांच अधिकारी को अपेक्षित इनपुट देना होता है।

V½ कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए गए नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकार्ड

चूंकि संगठन को जांच में लगाया जाता है इसलिए इस संगठन के अधिकारियों द्वारा आपराधिक क्रियाविधिक संहिता, साक्ष्य अधिनियम, कराधान पर विभिन्न मैनुअल और कानून, आयात और निर्यात, बैंकिंग, स्टाक मार्केट आदि जैसे कानून अभिशासित जांच और अन्य संबंधित कानूनों का उपयोग किया जाता है।

VI½ इसके द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों अथवा इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

जो दस्तावेज, इस संगठन द्वारा जब्त किए जाते हैं, संबंधित मामले की जांच के लिए एकत्र किया जाता है।

VII½नीति के निष्पादन अथवा तत्संबंधी कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान किसी प्रबंध के विवरण

इस संगठन का कार्य केवल धोखाधड़ी वाले मामलों की जांच तक सीमित होता है। वर्तमान में इसकेर् कत्ताव्यों के चार्टर में कोई नीति निरूपण / इसका कार्यान्वयन नहीं है।

VIII) एसएफआईओ द्वारा गठित दो अथवा इससे अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों का विवरण। अतिरिक्त सूचना की क्या इनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्ता जनता के लिए गम्य हैं।

एसएफआईओ द्वारा कोई बोर्ड अथवा परिषद अथवा समिति का गठन नहीं किया गया है।

IX½ इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

इस संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की दूरभाष निदेशिका नीचे दिए अनुसार हैः-

पीएबीएक्स सं. 0091 11 24369242 /24369244-46 फैक्स 0091 11 24365809

अधिकारी का नाम	दूरभाष सं. (कार्यालय)	पीएबीएक्स
श्री अजय नाथ, निदेशक	24365787	101, 150
श्री केवीएस सिंह, अतिरिक्त निदेशक (टी एंड ए)	24366026	107
सुश्री मेधा दलवी, अतिरिक्त निदेशक (आईटी)	24369247	109

श्री एन.के. भोला, अतिरिक्त निदेशक (सीएल)	24369592	201
श्री रामायण यादव, अतिरिक्त निदेशक (कानून)	24369595	205
श्री राजेश शर्मा, संयुक्त निदेशक (एफए-I)	24369243	105
सुश्री सुनीता केजरीवाल, संयुक्त निदेशक (कराधान)	24369505	203
श्री पुनीत रस्तोगी, संयुक्त निदेशक (जांच)	24369254	110
श्री जे.के. टेयोटिया, संयुक्त निदेशक (एफए-II)	24365471	202
श्री एस.डी. सामन्त, संयुक्त निदेशक (बैंकिंग)	24369248	106
श्री एस.के. शर्मा, संयुक्त निदेशक (सीएम)	24369251	108

वरिष्ठ सहायक निदेशक श्री पी.पी. सिंह, वरिष्ठ सहायक निदेशक	--	140
सुश्री अनिशा घई, वरिष्ठ सहायक निदेशक	--	217

सुश्री इन्द्रानी सेन चौधरी, वरिष्ठ सहायक निदेशक	--	132

सहायक निदेशक श्री दिनेश कुमार, सहायक निदेशक	--	146
श्री गिरिराज सिंह, सहायक निदेशक	--	145
श्री एस.के. गौर, सहायक निदेशक	--	121
श्री सुधीर मेहता, सहायक निदेशक	--	143
श्री वी.पी. वर्मा, सहायक निदेशक	--	142
श्री रबि बरूआ, सहायक निदेशक	--	141
श्री एस.सी. सरसोनिया, सहायक निदेशक	--	138
श्री संदीप अग्रवाल, सहायक निदेशक	--	136
श्री अश्वनी राठौर, सहायक निदेशक	--	135
श्री अनुपम वशिष्ठ, सहायक निदेशक	--	134
श्री एन0 के0 चौधरी, सहायक निदेशक	--	137

श्री आर0 के0 चौधरी	--	142
श्री एम.ओ. राय, सहायक निदेशक	--	210
श्री आई.एच. अंसारी, सहायक निदेशक	--	214
श्री प्रमोद बेरी, सहायक निदेशक	--	212
श्री बी.एस. नेगी, सहायक निदेशक	--	215
श्री ए0 के0 वर्मा, सहायक निदेशक	--	211
श्री सोंजोय बैनर्जी, सहायक निदेशक	--	133/216
श्री के.एस. नागर, सहायक निदेशक	--	218
श्री पी.के. खन्ना, सहायक निदेशक	--	213
सुश्री हरप्रीत कौर, सहायक निदेशक	--	206
निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक		
सुश्री जयवल्ली ए0 वी0, निदेशक के निजी सचिव	24365787	103 एवं 104
शमशेर सिंह, निदेशक के वैयक्तिक	24365787	102 एवं 104

सहायक		
सुश्री विध्या मलिक, संयुक्त निदेशक की वैयक्तिक सहायक (एपफ-I)	--	111
सुश्री सुखविन्दर कौर, अतिरिक्त निदेशक के वैयक्तिक सहायक (आईटी)	--	117
सुश्री अनीता जोशी, संयुक्त निदेशक के वैयक्तिक सहायक (सीएम)	--	115
श्री अजय कुमार, अतिरिक्त निदेशक के वैयक्तिक सहायक (सी एंड सीई)	--	118
श्री श्याम सिंह, संयुक्त निदेशक के वैयक्तिक सहायक (कराधान)	--	120
श्री के.एस. बिष्ट, अतिरिक्त निदेशक के वैयक्तिक सहायक (कानून)	--	119
सुश्री वीना, संयुक्त निदेशक के वैयक्तिक सहायक (एफ-II) एवं डीडी (प्रशा.)	--	124
श्री मिहीर डे, संयुक्त निदेशक के वैयक्तिक सहायक (बैंकिंग)	--	112

प्रशासन		
श्री आर. सेलवाकुमार, सहायक	24369593	219
सुश्री कृष्णा मुखर्जी, सहायक	24369593	216

मुम्बई शाखा

ओलड कोर्ट हॉल, कंपनी लॉ बोर्ड, द्वितील तल, एनटीसी हाउस, 15 एन.एम. मार्ग, बल्लाराड एस्टेट, मुम्बई

श्री ओ.ए. माओ, अति.निदे. (कराधान) मुम्बई कार्यालय	022-22611465 022-22615145	--
सुश्री सुनिता लैंगस्टे, वरिष्ठ सहा. निदेशक, मुम्बई कार्यालय	022-22611465 022-22615145	--
सुश्री सिंधु रमेश, वैयक्तिक सहायक, मुम्बई कार्यालय	022-22611465 022-22615145	--

¼X) इसके विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार मुआवजे की प्रणाली सहित इनके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक :

इस संगठन के अधिकारियों द्वारा प्राप्त मासिक नीचे दी गयी है।

एसएफआईओ मुख्यालय, नई दिल्ली के अधिकारियों की सूची और उनका मूल वेतन तथा कुल पारिश्रमिक

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम श्री/श्रीमती	पदनाम	मूल वेतन रूपए	कुल पारिश्रमिक रूपए
1.	अजय नाथ	निदेशक	67930	78799
2.	ओ.ए. माओ	अतिरिक्त निदेशक	52900	79234
3.	के.वी.एस. सिंह	अतिरिक्त निदेशक	51620	76165
4.	सुश्री एम. दलवी	अतिरिक्त निदेशक	51620	73365
5.	एन.के. भोला	अतिरिक्त निदेशक	51620	73365
6.	रामायण यादव	अतिरिक्त निदेशक	47490	73423
7.	राजेश शर्मा	संयुक्त निदेशक	50390	75569
8.	सुश्री सुनीता केजरीवाल	संयुक्त निदेशक	48920	59547

9.	पुनीत रस्तोगी	संयुक्त निदेशक	47490	57088
10.	जे.के. टेयोटिया	संयुक्त निदेशक	48920	73423
11.	एस.के. शर्मा	संयुक्त निदेशक	28875	71530
12.	एस.डी. सामन्त	संयुक्त निदेशक	16500	43953
13.	श्रीमती अनिशा घई	वरि. सहा. निदेशक	22530	38403
14.	पी.पी. सिंह	वरि. सहा. निदेशक	22530	38403
15.	इन्द्रानी सेन चौधरी	वरि. सहा. निदेशक	20880	35829
16.	सुनीता लैंगस्टे	वरि. सहा. निदेशक	22040	37638
17.	दिनेश कुमार	सहायक निदेशक	10500	32130
18.	एस.सी. सरसोनिया	सहायक निदेशक	10500	33180
19.	एस.के. गौर	सहायक निदेशक	10500	33180
20.	सुधीर मेहता	सहायक निदेशक	10500	32130
21.	रबि बरूआ	सहायक निदेशक	23290	37259

22.	सोंजोय बैनर्जी	सहायक निदेशक	21500	35721
23.	अश्वनी राठौर	सहायक निदेशक	24060	38384
24.	गिरिराज सिंह	सहायक निदेशक	20920	33799
25.	संदीप अग्रवाल	सहायक निदेशक	22530	36150
26.	वी.पी. वर्मा	सहायक निदेशक	21020	33945
27.	बी.एस. नेगी	सहायक निदेशक	21330	28499
28.	प्रमोद बेरी	सहायक निदेशक	21730	34982
29.	एम.ओ. रॉय	सहायक निदेशक	20920	35891
30.	के.एस. नागर	सहायक निदेशक	21330	34398
31.	अनुपम विशिष्ठ	सहायक निदेशक	20500	34211
32.	पी.के. खन्ना	सहायक निदेशक	22130	35566
33.	आई.एच. आंसारी	सहायक निदेशक	21940	35288
34.	एन. के चौधरी	सहायक निदेशक	17630	30759

35.	आर एस चौधरी	सहायक निदेशक	20940	27546
36.	अशोक कुमार वर्मा	सहायक निदेशक	21110	34077
37.	हरप्रीत कौर	सहायक निदेशक	27510	43877
38.	जयावल्ली ए0वी0	निजी सचिव	20670	28710
39.	आर. सेलवाकुमार	सहायक	16510	21008
40.	कृष्णा मुखर्जी	सहायक	17130	21727
41.	विध्या मलिक	वैयक्तिक सहायक	19350	24302
42.	सुखविन्दर कौर	वैयक्तिक सहायक	16500	25946
43.	शमशेर सिंह	वैयक्तिक सहायक	17570	29265
44.	अनीता जोशी	वैयक्तिक सहायक	19440	30238
45.	श्याम सिंह	वैयक्तिक सहायक	18640	23878
46.	अजय कुमार	वैयक्तिक सहायक	15780	24895
47.	वीना	वैयक्तिक सहायक	15780	26473

48.	के.एस. बिष्ट	वैयक्तिक सहायक	15070	23858
49.	मिहीर डे	वैयक्तिक सहायक	18050	22794
50.	सिन्धु रमेश	वैयक्तिक सहायक	16510	21008

(XI) किए गए संवितरण पर प्रस्तावित सभी योजनाओं के व्यय और रिपोर्टों के ब्यौरे सहित इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट

वर्ष 2007-08 के लिए एसएफआईओ का बजटीय आबंटन 31790000.00 रूपए (गैर- योजना) है। यह बजट केवल प्रशासनिक व्यय, वेतन तथा यात्रा आदि के लिए है।

(XII) आबंटित राशियों, और ब्यौरे तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभग्राहियों सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका

यह मद एसएफआईओ के लिए लागू नहीं है।

(XIII) इसके द्वारा प्रदान किए गए रियायतों, अनुमतियों अथवा अनुमोदनों के प्रापकों के ब्यौरे

संगठन ऐसे कोई कार्य नहीं करता है।

(XIV) उपलब्ध इसके द्वारा जब्त की गयी, इलेक्ट्रानिक स्वरूप में घटायी गयी सूचना का ब्यौरा

जैसाकि पैरा-6 में उल्लेख किया गया है इस कार्यालय द्वारा कोई सूचना जब्त नहीं की जाती है किन्तु जांच के उद्देश्य हेतु एकत्र की जाती है।

(XV) पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष, यदि जनता के उपयोग के लिए बनाया गया हो तो उसके कार्य के घंटे सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा

सूचना प्राप्त करने के लिए www.sfio.nic.in की एक वेबसाइट है। जनता के उपयोग हेतु इस कार्यालय द्वारा कोई पुस्कालय अथवा अध्ययन कक्ष नहीं बनाया गया है।

(XVI) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य ब्यौरे {एस. 4(1)(ख)}

श्री के.वी.एस. सिंह, अतिरिक्त निदेशक (सी एंड सीई) को जनसूचना अधिकारी के रूप में एसएफआईओ के लिए, नियुक्त किया गया है। उनका पता और दूरभाष ने निम्नानुसार है:-

श्री के.वी.एस. सिंह,
अतिरिक्त निदेशक (सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद)
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय
कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
द्वितीय तल, 'बी' विंग,
पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली
भारत

दूरभाष सं. - 00 91 11 24366026

फैक्स नं. - 00 91 11 24365809

अनुबंध

सं. 5/02/2003-एसएफआईओ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
कंपनी कार्य विभाग

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 21 अगस्त, 2003

सेवा में

निदेशक,
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय,
कंपनी कार्य विभाग,
नई दिल्ली-110001

विषय : गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय का चार्टर।

1. सरकार ने कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन 2 जुलाई, 2003 के संकल्प संख्या 45011/16/2003-प्रशा. के माध्यम से सफेदपोश अपराधों की व्यवसायिक तरीके से जांच करने के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की स्थापना किया है।

2. उपर्युक्त संकल्प की निरन्तरता में एसएफआईओ की जिम्मेवारियों और कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे किन्तु सीमित नहीं होंगे -

क) एसएफआईओ के बहुविधा वाला संगठन होने की संभावना है जिसमें सफेदपोश अपराधों/ धोखाखड़ी का पता लगाने और मुकदमा चलाने अथवा मुकदमा के लिए

सिफारिश करने के लिए लेखांकन, फारेसिंक, आडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल होंगे।

ख) एसएफआईओ आमतौर जांच के लिए केवल ऐसे मामले आरंभ करेगा जिन्हें निम्नलिखित द्वारा वर्णित किया गया है -

i) जटिलता और अन्तर्विभागीय तथा बहुविधा वाले शाखा विस्तार ;

ii) या तो मौद्रिक दुरूपयोग अथवा प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में आकार द्वारा तय किए जाने वाले जनहित की महत्वपूर्ण समावेशन ;

iii) जांच की संभावना जिससे सिस्टम, कानूनों अथवा क्रियाविधियों स्पष्ट सुधार होता है।

ग) एसएफआईओ कंपनी कार्य विभाग से प्राप्त धोखाधड़ी के गंभीर मामलों की जांच करेगा। एसएफआईओ नीचे पैरा (घ) की शर्त पर मामलों को स्वयं भी शुरू कर सकता है। एसएफआईओ कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच करेगा और अभियोजन/ उपयुक्त कार्रवाई के लिए, अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट संबंधित एजेंसियों को भी अग्रेषित करेगा।

घ) एसएफआईओ द्वारा जांच आरंभ करायी जानी चाहिए अथवा नहीं इसका निर्णय निदेशक एसएफआईओ द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे, कारणों को लिखित में रिकार्ड करने की उम्मीद की जाएगी, में निर्णय आगे उस समन्वय समिति द्वारा समीक्षा के अध्यधीन होंगे जिसका गठन दिनांक 16.4.2005 के आदेश सं. 5/15/2003-एसएफआईओ के तहत किया गया है।

3. निदेशक, एसएफआईओ को वित्तीय तथा प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु पहले ही विभागाध्यक्ष पदनामित किया गया है।

4. एसएफआईओ की स्थापना अत्याधुनिक सुविधाओं वाले माडल कार्यालय के रूप में किए जाने की संभावना है।

5. सरकार के संगत नियमों के अनुपालन की शर्त पर यह मामला प्रति मामला आधार पर कार्य को व्यावसायिक एजेंसियों से आउटसोर्स करा सकता है।

हस्ताक्षर/-

(राजीव महर्षि)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार